

## वैकल्पिक भूमि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

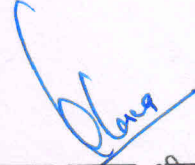
जनपद इटावा के अन्तर्गत इटावा-ग्वालियर मार्ग रा0मा0सं0-92 के किमी0-74.700 से 77.950 तक के भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में 5.345 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव में प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना में प्रभावित वनभूमि के बदले अन्य कोई विकल्प नहीं है तथा आवेदित 5.345 हे0 संरक्षित वनभूमि की मांग न्यूनतम है।

स्थान- आगरा

दिनांक- 20-6-2022



(हरि किशोर शुक्ला )  
क्षेत्रीय वन अधिकारी,  
राष्ट्रीय चम्बल सैक्युरी, इटावा रेंज  
रेन्ज- इटावा (उ.प्र.)



(दिवाकर प्रसाद श्रीवास्तव)  
उप वन संरक्षक,  
राष्ट्रीय चम्बल सैक्युरी प्रोजेक्ट,  
उ0प्र0 आगरा।